भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 368

दिनांक 01.12.2021/ 10 अग्रहायण, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

पत्रकारों पर बढ़ते हमले

368 श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पत्रकारों पर बढ़ते हमलों का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हाँ, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विगत चार वर्षों के दौरान ऐसे हमलों में वर्ष - वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र - वार कितने पत्रकार घायल हुए हैं / मारे गए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसे हमलों में राज्य - वार और संघ क्षेत्र - वार कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और कितने व्यक्तियों की जांच-पड़ताल की गयी है; और

(ङ) देश में पत्रकारों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत ''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय हैं तथा राज्य सरकारें अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने और जांच करने तथा अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) पत्रकारों पर होने वाले हमलों के संबंध में विशेष आंकड़े नहीं रखता है।

केंद्र सरकार पत्रकारों सहित देश के सभी निवासियों की सुरक्षा एवं संरक्षा को सर्वाधिक महत्व देती है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर परामर्शी पत्र जारी किए हैं कि कानून को अपने हाथ में लेने वाले व्यक्ति को कानून के अनुसार तत्काल दंडित किया जाए। विशेष रूप से पत्रकारों की सुरक्षा के संबंध में 20 अक्टूबर, 2017 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें उनसे मीडिया के लोगों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून को दृढ़ता से लागू करने का अनुरोध किया गया था। ये एडवाइजरी मंत्रालय की वेबसाइट: www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

*****